

५. राज्य सरकार

पिछले पाठ तक हमने केंद्र सरकार की संसद और कार्यकारी मंडल का स्वरूप आदि की जानकारी प्राप्त की। भारत की एकात्म न्यायपालिका का परिचय प्राप्त किया। प्रस्तुत पाठ में हम घटक राज्यों अथवा राज्य सरकार की जानकारी प्राप्त करेंगे।

संघराज्य व्यवस्था में दो स्तरों पर शासन संस्थाएँ कार्यरत रहती हैं। राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र सरकार और राज्य स्तर पर राज्य सरकार कार्य करती है। भारत में २८ घटक राज्य हैं और वहाँ का शासन वहाँ की राज्य सरकार द्वारा चलाया जाता है।

लम: भारत का भौगोलिक दृष्टि से विस्तार बहुत बड़ा है और जनसंख्या का स्वरूप भी बड़ा है। भाषा, धर्म, रूढ़ि-परंपरा और प्रादेशिक स्वरूप में भी विविधता है। ऐसे समय एक ही अर्थात् केंद्रीय स्थान से शासन चलाना कठिन है, इस बात पर विचार करके संविधान ने भारत के लिए संघराज्य व्यवस्था को स्वीकार किया। भाषा के आधार पर घटक राज्यों की निर्मिति करना निश्चित हुआ और उसके अनुसार भाषावार प्रांत रचना हुई।

भारत के सभी घटक राज्यों की शासन व्यवस्था का राजनीतिक स्वरूप एक समान है। अपवाद केवल जम्मू और कश्मीर का है। महाराष्ट्र के संदर्भ में हम घटक राज्यों की शासन संस्थाओं का स्वरूप जानेंगे।



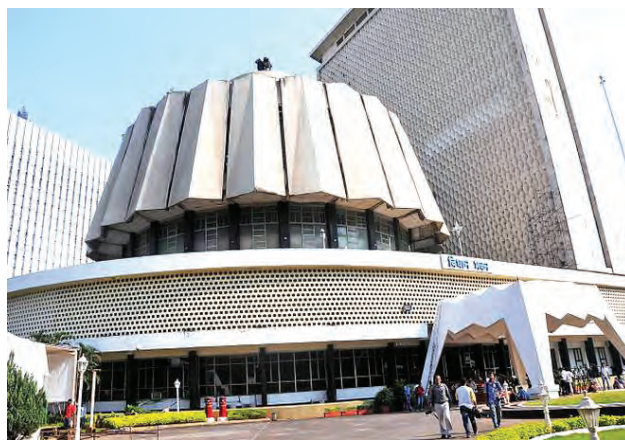
क्या तुम जानते हो ?

यद्यपि भारत में २८ घटक राज्य हैं फिर भी विधान सभाओं की संख्या ३१ है क्योंकि दिल्ली, पुदुच्चेरी तथा जम्मू और कश्मीर इन केंद्रशासित प्रदेशों में विधान सभाएँ अस्तित्व में हैं।

राज्य सरकार का लरलधंडा : केंद्र की संसद की तरह राज्य स्तर पर प्रत्येक राज्य का विधि मंडल

है। केवल सात राज्यों का विधि मंडल दो सदनों का है। उनमें महाराष्ट्र का भी समावेश है। विधि मंडल के सदस्यों को विधान सभा सदस्य कहा जाता है।

महाराष्ट्र का लरलधंडा : महाराष्ट्र में विधान सभा और विधान परिषद दो सदन हैं।



विधान भवन, मुंबई

लक्षान सभा : महाराष्ट्र विधि मंडल का प्रथम सदन है और उसकी सदस्य संख्या २८८ है। एंग्लो इंडियन समाज को पर्याप्त प्रतिनिधित्व न होने पर राज्यपाल इस समाज के एक प्रतिनिधि को विधान सभा पर नियुक्त करते हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए कुछ सीटें आरक्षित होती हैं। चुनाव के लिए पूर्ण महाराष्ट्र का निर्वाचन क्षेत्र में विभाजन किया गया है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि का चुनाव होता है।

विधान सभा का कार्यकाल पाँच वर्ष का होता है। अपवादात्मक स्थिति में, निर्धारित समय से पहले भी चुनाव लिये जा सकते हैं।

जिसकी आयु २५ वर्ष पूर्ण हुई है, ऐसा कोई भी भारतीय नागरिक जिसका महाराष्ट्र में निवास है, वह विधान सभा का चुनाव लड़ सकता है।

लक्षान सभा अध्या : विधान सभा की कार्यवाही अध्यक्ष के नियंत्रण और मार्गदर्शन में होती है। चुनाव के बाद बनी नयी विधानसभा के सदस्य

अपने में से एक का अध्यक्ष और एक का उपाध्यक्ष पद पर चयन करते हैं। अध्यक्ष को सदन की कार्यवाही अनुशासनबद्ध तरीके से हो; इसलिए कार्यक्रम पत्रिका तैयार करने से लेकर असंसदीय आचरण करनेवाले सदस्यों को सदन से निलंबित करने तक के कार्य करने पड़ते हैं। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में ये सभी कार्य उपाध्यक्ष पूर्ण करते हैं।

महाराष्ट्र विधि मंडल के वर्ष में कम-से-कम तीन अधिवेशन सत्र बुलाए जाते हैं। बजट विषयक और मानसून सत्र मुंबई में और शीतकालीन सत्र नागपुर में होता है।

तत्त्वान परसर्ग : महाराष्ट्र विधिमंडल का यह दूसरा सदन है। इसका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप में समाज के विविध घटकों द्वारा किया जाता है। महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्यों की संख्या ७८ है। इसमें राज्यपाल कला, साहित्य, विज्ञान, समाजसेवा जैसे क्षेत्रों से तज्ञ व्यक्ति की नियुक्ति करते हैं और अन्य प्रतिनिधि विधान सभा, स्थानीय शासन संस्था, शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र, स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से चुने जाते हैं।

विधान परिषद पूर्णतः विसर्जित नहीं होती। इसमें निर्धारित सदस्य हर दो साल बाद अवकाश प्राप्त करते हैं और उतनी ही सीटों के लिए चुनाव होकर वे पद भरे जाते हैं। विधान परिषद की कार्यवाही विधान परिषद के अध्यक्ष के नियंत्रण और मार्गदर्शन में चलती है। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष इस दायित्व का निर्वहन करते हैं।

महाराष्ट्र का कार्यकारी मंडल : महाराष्ट्र के कार्यकारी मंडल में राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल का समावेश होता है।

राज्यपाल : केंद्रीय स्तर पर जिस प्रकार राष्ट्रपति नामधारी प्रमुख होते हैं, उसी प्रकार घटक राज्य के स्तर पर राज्यपाल नामधारी प्रमुख होते हैं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। जब

तक उनकी इच्छा है, तब तक वे पद पर रह सकते हैं। राज्यपाल को भी कानूनविषयक महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त हैं। उदा., विधान सभा और विधान परिषद द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के हस्ताक्षर होने के बाद ही कानून में परिवर्तित होता है। विधि मंडल का सत्र बुलाने का अधिकार राज्यपाल को प्राप्त है। जब विधि मंडल का सत्र नहीं होता है; तब ऐसी स्थिति में कोई कानून बनाने की आवश्यकता निर्माण हुई तो राज्यपाल उसका अध्यादेश निकालते हैं।

मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल : विधानसभा में जिस दल को स्पष्ट बहुमत मिलता है, उस दल का नेता मुख्यमंत्री के रूप में चुना जाता है। मुख्यमंत्री अपने विश्वासपात्र सहयोगियों का मंत्रिमंडल में समावेश करते हैं। प्रधानमंत्री की तरह मुख्यमंत्री भी कार्यकारी प्रमुख होते हैं। राज्य का पूर्ण शासन राज्यपाल के नाम से चलता है परंतु प्रत्यक्ष रूप में राज्य की सरकार को मुख्यमंत्री चलाते हैं।

मुख्यमंत्री के का

मंत्रिमंडल की शक्ति : बहुमत सिद्ध करने के बाद मुख्यमंत्री सबसे पहले अपने मंत्रिमंडल का गठन करते हैं। यह कार्य चुनौतीपूर्ण है क्योंकि मंत्रिमंडल को अधिकाधिक प्रातिनिधिक बनाने के लिए सभी क्षेत्रों, विविध सामाजिक घटकों (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला, अल्पसंख्यक आदि) का समावेश करना पड़ता है। स्पष्ट बहुमत न मिलने पर कुछ दल मिलकर गठबंधन की सरकार बनाते हैं, ऐसे समय मुख्यमंत्री को सभी सहयोगी दलों को मंत्रिमंडल में स्थान देने का कठिन कार्य करना पड़ता है।

तत्त्वभाग तवर्णि : मंत्रिमंडल बनाने के बाद मुख्यमंत्री मंत्रियों को विभागों का वितरण करते हैं। विभाग वितरण करते समय मंत्रियों का राजनीतिक अनुभव, प्रशासकीय कौशल, उनकी लोकभावना को समझने की शक्ति, नेतृत्व आदि बातों पर सोचना

पड़ता है ।

समन्वय : मुख्यमंत्री और उनका मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से विधान सभा के लिए उत्तरदायी होने के कारण कार्यक्षम सरकार चलाने की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री पर होती है । विविध विभागों में आपसी सहकारिता और समन्वय की भावना न हो तो उसका परिणाम सरकार के कार्य पर होता है । इसलिए मुख्यमंत्री को विविध विभागों के विवाद दूर करके सभी विभाग एक ही दिशा में कार्य करते हैं या नहीं उसका ध्यान रखना पड़ता है ।

राज्य का नेतृत्व : प्रधानमंत्री जिस प्रकार देश का नेतृत्व करते हैं, उसी प्रकार मुख्यमंत्री राज्य का नेतृत्व करते हैं । मुख्यमंत्री अपने राज्य के हितों

और उनकी समस्याओं को ध्यान में रखकर उसके अनुसार नई नीतियाँ बनाते हैं । राज्य की जनता मुख्यमंत्री की ओर 'हमारी समस्याएँ सुलझाने वाले व्यक्ति' के रूप में देखती है । राज्य की समस्याओं का तुरंत अनुमान लेकर उसपर सरकार की तरफ से उपाय योजना करने का जब मुख्यमंत्री आश्वासन देते हैं, तब जनता को बड़ी राहत मिलती है ।

महाराष्ट्र राज्य भारत का एक विकसित राज्य है । शिक्षा, उद्यम, व्यवसाय, सेवा क्षेत्र, स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक सुरक्षा के बारे में सबसे अग्रसर है । आतंकवादी गतिविधियाँ और कुछ भागों में नक्सलवादी आंदोलन यही अपने राज्य के सामने दो बड़ी चुनौतियाँ हैं ।

सी ध्याय

१. वस्स से उक्ति णिकर णिक्र वी से वीखो ।

(१) महाराष्ट्र विधि मंडल का शीतकालीन सत्र में होता है ।

(अ) मुंबई (ब) नागपुर
(क) पुणे (ड) औरंगाबाद

(२) राज्यपाल की नियुक्ति द्वारा की जाती है ।

(अ) मुख्यमंत्री (ब) प्रधानमंत्री
(क) राष्ट्रपति (ड) प्रधान न्यायाधीश

(३) राज्य विधि मंडल का सत्र बुलाने का अधिकार को होता है ।

(अ) मुख्यमंत्री (ब) राज्यपाल
(क) राष्ट्रपति (ड) अध्यक्ष

३. व वीखो ।

(१) राज्यपाल (२) मुख्यमंत्री के कार्य

४. वस्स न के उत्तर वीखो ।

(१) विधान सभा अध्यक्ष के कार्य स्पष्ट करो ।
(२) संविधान ने भारत के लिए संघराज्य व्यवस्था को क्यों स्वीकार किया ?
(३) विभागों का वितरण करते समय मुख्यमंत्री किन बातों पर विचार करते हैं ?

उपक्रम

महाराष्ट्र सरकार के अधिकृत संकेत स्थल पर जाकर विविध मंत्री और उनके विभागों का कार्य आदि की जानकारी प्राप्त करो ।



२. सासणी ण करो ।

अ. क्र.	सदन	कार्यकाल	सदस्य संख्या	चुनाव का स्वरूप	प्रमुख
१.	विधान सभा				
२.	विधान परिषद				

